This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 3 अक्तूबर, 2013 / 11 आश्विन, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 30th September, 2013

No. TPT-F (6)6/2003-III.—In supersession of this department's Notification No. TPT-F(6)-6/2003-III dated 8th March,2010, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers

2. Amendment of section 10.—In section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (23 of 1976) (hereinafter referred to as the "principal Act"), for the words "fifteen lakh", the words "thirty lakh" shall be substituted.

3. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "ten lakh", the words "twenty lakh" shall be substituted.

(URMILA SINGH)
Governor.

(CHIRAG BHANU SINGH)
Secretary (Law).

SHIMLA :
Dated......................2013

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 01 अक्तूबर, 2013

संख्या 5–35/2012–ईएलएन.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में तहसीलदार (निर्वाचन), वर्ग-I (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग तहसीलदार (निर्वाचन), वर्ग-I राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**——(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5–31/86–ईएलएन., तारीख 22 सितम्बर, 1988 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग वर्ग-2 (राजपत्रित सेवाएं) निर्वाचन अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और तहसीलदार (निर्वाचन) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1988 का उस विस्तार तक निरसन किया जाता है, जहां तक यह तहसीलदार (निर्वाचन) के पद से सम्बन्धित हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (निर्वाचन)।

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में तहसीलदार (निर्वाचन), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––तहसीलदार (निर्वाचन)

2. **पद (पदों) की संख्या.**––12 (बारह)

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग-I, (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)

4. **वेतनमान.**––10300-34800/- रूपए जमा 5000/- रूपए ग्रेड पे।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**––चयन।

6. **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु.**––लागू नहीं।

7. **सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.**––(क) अनिवार्य अर्हताएं––लागू नहीं।

(ख) **वांछनीय अर्हताएं.**––लागू नहीं।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :**

आयु.–– लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.––लागू नहीं।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. **भर्ती की पद्धति.––भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सेकण्डमेंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.**––शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. **प्रोन्नति, सेकण्डमेंट, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, सेकण्डमेंट, स्थानान्तरण किया जाएगा.**––(i) नायब–तहसीलदार (निर्वाचन) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड मे की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर नायब–तहसीलदार (निर्वाचन) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका नायब–तहसीलदार (निर्वाचन) और निर्वाचन कानूनगो के रूप में संयुक्ततः सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

. . . 60 प्रतिशत

(ii) अधीक्षक, ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अधीक्षक, ग्रेड.प्प में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका अधीक्षक, ग्रेड-II और वरिष्ठ सहायक के रूप में संयुक्ततः सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

. . . 40 प्रतिशत

परन्तु तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पदों को भरने हेतु निम्नलिखित 12 बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः—

रोस्टर बिन्दु संख्या	**श्रेणी**
पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां, आठवां, दसवां और ग्यारहवां	नायब—तहसीलदार (निर्वाचन)
दूसरा, चौथा, छठा, नवां एवं बारहवां	अधीक्षक, ग्रेड-II

टिप्पणी.——रोस्टर प्रत्येक बारहवें पद के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक दोनों प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता और तत्पश्चात् रिक्ति को उसी प्रवर्ग में से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त हुआ हो :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रहती होः

परन्तु यह और भी कि उन कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.——उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतः तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.——उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी व भरमौर उप मण्डल।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा—क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल—बगड़ा पटवार वृत्त बालीचौकी उप तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाढ़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, त्रैला, रोपा, कथोग, सिलह—भड़वानी, हस्तपुर, घमरेहड़ और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपर, मनगढ़, थाच—बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी ;

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे ;

परन्तु यह और कि उन सभी पदाधिकारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी ;

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.——अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोवलाईजड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान—टैक्नीकल सर्विसीज)रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया हो और इनके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज)रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति, नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.——विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा.——लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——लागू नहीं।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

―――――――――

[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-35/2012-ELN, dated 1st October, 2013 as required under Clause (3) of Article-348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 1st October, 2013

No. 5-35/2012-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Tehsildar (Election), Class-I(Gazetted) (Non-Ministerial Services) in the Election Department, Himachal Pradesh as per **Annexure-"A"** attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Tehsildar (Election), Class-I, Gazetted (Non-Ministerial Services) Recruitment & Promotion Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Election Department Class-II (Gazetted Services) Electoral Officer, Section Officer and Tehsildar (Elections) Recruitment and Promotion Rules, 1988, notified vide this department's notification No.5-31/86-ELN, dated 22-9-1988 are hereby repealed to the extent these pertain to the post of Tehsildar (Election).

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, or anything done or any action taken under Rules, so repealed under Sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Election).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TEHSILDAR (ELECTION), CLASS-I, (GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF ELECTION, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the Post.—** Tehsildar (Election).

2. **Number of Post(s).—** 12 (Twelve)

3. **Classification.—** Class-I, (Gazetted) (Non-Ministerial Services)

4. **Scale of Pay.—**Rs.10300-34800/- plus 5000/- Grade Pay.

5. **Whether "selection" post or "non-selection" post.—**Selection.

6. **Age for direct recruitment.—**Not applicable.

7. **Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment:**

*(a) Essential Qualification(s).—*Not applicable.

*(b) Desirable Qualification.—*Not applicable.

8. **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s)? :**

*Age.—*Not applicable.

*Educational Qualification.—*Not applicable.

9. **Period of probation, if any.—**Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. **Method of recruitment.—***whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.*—100% by promotion.

11. **In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grades from which promotion/secondment, transfer is to be made.—**(i) By promotion from amongst the Naib-Tehsildars (Election) with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Naib-Tehsildars (Election) having Seven years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Naib-Tehsildars (Election) and Election Kanungos.

... 60%.

(ii) By promotion from amongst the Superintendents, Grade-II, having three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Superintendents, Grade-II having seven years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Superintendents, Grade-II and Senior Assistant.

… 40%

Provided that for filling up the posts of Tehsildar(Election) the following 12 points post based roster shall be followed:—

Roster Point No.	Category
1st, 3rd, 5th, 7th, 8th, 10th & 11th	Naib-Tehsildar (Election)
2nd, 4th, 6th, 9th & 12th	Superintendent, Grade-II.

Note.—This roster will be repeated after every 12th post till the representation to both the feeder categories is achieved by the given percentage and thereafter the vacancy shall be filled up from the category which vacates the post.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s)available in such areas;

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation;

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult Areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trilla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circles of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provision of the Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—To be presided over by the Chairman, HP Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

———————

''मज़बूत लोकतन्त्र–सबकी भागीदारी''
निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

ब्लॉक नम्बर–38, एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–171009
संख्याः 5–13 / 2011–ईएलएन. दिनांकः 30 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

प्रशासनिक सुधार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पीईआर(एआर)ए(4)1 / 2007, दिनांक 25 जून, 2007 तथा पीईआर(एआर)एफ(7)2 / 98, दिनांक 3 अगस्त, 2007 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, निर्वाचन विभाग द्वारा अपनी वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2012–2013 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा 1 (बी) में दर्शाए गए बिन्दुओं पर आधारित समस्त सूचना को सम्मिलित करके दिनांक 11–9–2013 को विभागीय वैबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निर्वाचन विभाग की वैबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर अपलोड विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2012–2013 को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से जन–साधारण की जानकारी हेतु अधिसूचित करने के सहर्ष आदेश देती है।

आदेश द्वारा,
हस्ता0 / –
प्रधान सचिव (निर्वाचन)।

———————

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 21-9- 2013

No. Sharm (A) 7-1/2005-Part File-1.—In exercise of the powers vested under section 17(1) of the Industrial Disputes Act,1947, the Governor Himachal Pradesh is pleased to order the publication of awards of the following cases announced by the Presiding Officer, Labour Court